संख्या–5206 / 9–आ–1–2000–339डीए / 83

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
आगरा मण्डल,
आगरा।

आवास अनुभाग–1 लखनऊः दिनाँक–04 दिसम्बर, 2000

विषय : आगरा स्थित ऐतिहासिक स्मारकों के भ्रमणार्थियों से धारा 39–क अन्तर्गत वसूले जाने वाले पथकर के उपयोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पथकर निधि का उपयोग भ्रमणार्थियों की सुख–सुविधा के लिए तथा उस हेतु आवश्यक अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं सुनिश्चित करने की दृष्टि से शासन ने सम्यक विचारोपरान्त मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित करने तथा इस निधि से कार्यों की स्वीकृति हेतु गठित सलाहकार समिति को पुर्नगठित करने का निर्णय लिया है :–

(अ) सलाहकार समिति :– पथकर निधि से विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु सहायता एवं सलाह देने हेतु मण्डलायुक्त, आगरा की अध्यक्षता में निम्नलिखित समिति पुर्नगठित की जाती है :–

1. आयुक्त, मण्डलायुक्त, आगरा – अध्यक्ष
2. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अथवा – सदस्य
   उनका नामित प्रतिनिधि
3. महानिदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश – सदस्य
4. जिलाधिकारी, आगरा – सदस्य
5. मुख्य नगर अधिकारी, आगरा – सदस्य
6. इन्टेक के प्रतिनिधि – सदस्य
7 व 8 आगरा में पर्यटन, होटल उद्योग से सम्बन्धित दो – सदस्यगण
   व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा नामित किये जायेंगे
9. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा – सदस्य संयोजक

(ब) कार्यों के चयन हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त :– पथकर निधि का व्यय केवल निम्नलिखित मदों में किया जा सकेगा :–

I(क) वसूली से सम्बन्धित व्यवस्था एवं कर्मचारियों पर व्यय 2 प्रतिशक तक

(ख) भारित व्यय जिनमें न्यायालय के आदेशों अथवा पथकर सम्बन्धी न्यायिक वादों पर होने वाला आवश्यक व्यय सम्मिलित होगा।

II उपरोक्त व्यय के उपरान्त अवशेष धनराशि को निम्नलिखित मदों में निर्धारित अनुपात में व्यय किया जायेगा।

क– पर्यावरण सुधार सम्बन्धी कार्य, यथा सफाई, 20 प्रतिशत
सेनिटेशन, हरियाली, स्लम सुधार एवं पुर्नवास

ख– भ्रमणार्थियों की सुख–सुविधाएं 15 प्रतिशत

ग– पर्यटकों के उपयोग में आने वाला नगरीय 40 प्रतिशत इन्फ्रास्ट्रक्चर यथा मार्ग प्रकाश, ड्रेनेज इत्यादि
घ– पर्यटन इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्बन्धी 15 प्रतिशत
ङ– टूरिस्ट पुलिस एवं पर्यटक सुरक्षा सम्बन्धी 10 प्रतिशत
क्रियान्वित किये जाने वाले पत्येक कार्य/परियोजना पर अधिकतम 10 प्रतिशत सेन्टेज चार्ज सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को दिया जायेगा। प्रत्येक चयनित कार्य का आंगणन का परीक्षण समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा।
III लेखों का रख–रखाव तथा वार्षिक रिपोर्ट
क– पथकर निधि से किए जाने वाले कार्य स्थल पर नगरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर टास्क फोर्स का बोर्ड लगेगा जिसमें कार्य इत्यादि का पूरा ब्यौरा उल्लिखित होगा।
ख– प्रत्येक 31 मार्च तथा 30 सितम्बर को उस वित्तीय वर्ष में प्राप्तियों की स्थिति तथा किये गये कार्यों व व्यय की स्थिति की रिपोर्ट तैयार की जायेगी जो शासन, प्रत्येक सदस्य तथा प्रेस को उपलब्ध कराई जायेगी। मांगे जाने पर अन्य को भी उपलब्ध करायी जा सकती है।
ग– पथकर निधि के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखों का आडिट चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा आगामी 30 जून तक अवश्य करा लिया जायेगा तथा आडिट रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के उपरान्त 30 सितम्बर तक शासन को भी प्रस्तुत की जायेगी। इससे पूर्व प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष भी इसे प्रस्तुत किया जायेगा।
घ– चार्टेड एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति शासन द्वारा की जायेगी यह चार्टेड एकाउन्टेन्ट ''कान्करेन्ट'' आडिट भी करेंगे तथा सलाहकार समिति की प्रत्येक बैठक में भी उपस्थित रहकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करेंगे।
ड़– प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में पथकर निधि के अन्तिम लेखें तैयार किये जायेंगे तथा प्रत्येक वर्ष के अन्त में आय–व्यय विवरणी एवं बैलेन्स शीट भी बनाई जायेगी।
च– चार्टेड एकाउन्टेन्ट पर होने वाला व्यय इसी निधि द्वारा भारित व्यय के रूप में व्यय किया जायेगा।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या – 5206(1)/9–आ–1–2000–339 डीए/83 दिनांक 04 दिसम्बर, 2001

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण।
2. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
3. महानिदेशक, पर्यटन।
4. जिलाधिकारी, आगरा।
5. मुख्य नगर अधिकारी, आगरा।
6. इन्टेक, लखनऊ।

आज्ञा से

आनन्द कुमार
अनु सचिव